बिहार गजट
(कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1914 (श॰)

पटना बुधवार, 24 फरवरी, 1993

(सं॰ पटना 123)

कृषि विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी 1993

जी॰एस॰आर॰ 13, दिनांक 24 फरवरी, 1993—बिहार–राज्यपाल बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 45 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ –
   (1) यह नियमावली बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली 1993 कही जा सकेगी।
   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में प्रभावी होगी।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं – जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –
   (1) ''कलेण्डर वर्ष'' में तात्पर्य है पहली जनवरी से इक्तीस दिसम्बर तक की अवधि
   (2) ''प्रपत्र'' से तात्पर्य है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र
   (3) ''अधिनियम'' से तात्पर्य है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992–(बिहार अधिनियम 17, 1992)।
   (4) ''अनुसूची'' से तात्पर्य है इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची
   (5) ''धारा'' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा
   (6) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द तथा पदावली के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में दिय गए है।
3. अनुज्ञप्ति की शर्त्ते एवं निबंधिन–धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन दी गयी या धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन नवीकृत अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्त्तो और निबंधनों के अध्यधीन होगी :–

(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सही, पुर्ण तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पूर्ण सन्तोषप्रद होना चाहिए।

(2) कोल्ड स्टोरेज धारा 6 के विनिर्देशों के अनुरूप हो और रहे तथा अन्य विनिर्देशों का अनुपालन हो।

(3) किरायादाताओं को स्टोर किए गये या स्टोर किये जानेवाले कृषि उत्पादन का निरीक्षण करने, तौलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।

(4) अनुज्ञप्ति सदैव कोल्ड स्टोर के भू–गृह में रखी जायेगी और निरीक्षण तथा जाँच के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत की जायगी।

(5) अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी बनाए गये नियमों का पालन करेगा।

(6) परिसर जिसमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होगा। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 40–45 वर्ग सेन्टीमीटर (5 वर्गफुट) स्थान के निमित एक वाट की दर से विद्युत् प्रकाश की व्यवस्था की जायगी।

(7) (क) समस्त प्रांगण, वहिगृह, स्टोर तथा, भु–गृहादि के आगम–द्वार जहाँ कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे।

(ख) कोल्ड स्टोरेज और भू–गृहादि जिसमें वह स्थित हो, में निस्संक्रमण और दुर्गन्ध हरण की संक्रिया या उपचार उतनी बार किया जायेगा जितनी बार आवश्यक हो और कम–से–कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसा उत्पादन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादन से विपरीत अथवा शीध्र विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।

(9) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण या प्रबंध, कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है, एक कलेण्डर वर्ष में कम–से–कम एक बार किया जायेगा।

(10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे कपड़ों की व्यवस्था की जायेगी, जो उन्हें सर्दी से बचाये। हिमांक बिन्दु से निम्नतर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित बूट की व्यवस्था की जायेगी।

(11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तु लादने और उतारने के निमित निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण किया जायगा–

(i) रेकों की दोनों पंक्तियों के बीच 00.75 मीटर के कम स्थान न होगा।

(ii) रेक दीवालों फरशों से कम–से–कम 20 सेंटी मीटर की दूरी पर रखे जायेंगे।

(iii) प्रत्येक रेक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य कम–से–कम 30 सेंटीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।

(iv) किसी शेल्फ तथा अन्य शेल्फ के मध्य कम–से–कम 7.5 सेन्टी मीटर खाली जगहें रखी जानी चाहिये परन्तु वह कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब उप–नियम (ii) के खण्ड (i), (ii), (iii) के अधीन शर्तों का पालन करते समय निम्नलिखित निर्देश का भी अनुसरण किया जायगा :–

(क) एक स्टेक में एक दूसरे से उपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक बोरे की कतार में 10 सेन्टी मीटर की जगह छोड़ी जायेगी।

(ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरों को दो बार उपर नीचे किया जायेगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सबसे उपर रखा जाय और कृषि उत्पादन स्टोर करने के 45 दिन, के भीतर पहली बार और स्टोर करने के, 90 दिनों के भीतर दूसरी बार बोरों को उपर–नीचे किया जायेगा।

(12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनके द्वारा ड्राई बल्ब तथा वेट बल्व ताप का पठन किया जा सके।

(13) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र में "लॉग बुक" रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आर्द्रता तथा कम्प्रेशन का भार–वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्य करण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश अंकित करेगा जबतक कि स्वचालित अभिलेख यंत्र अधिष्ठित न कर दियें गये हों। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर व्यक्तिगत रूप से अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त ''लॉग बुक'' पर हस्ताक्षर करेगा।

(14) लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करने की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण ''लॉग बुक'' में लिखा जायेगा और उसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी को दी जायगी।

(15) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी किसी कार्य दिवस के सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उनकी मशीन और उपकरण लेखा वहां पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, पत्रादि के परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए सदैव ऐसी सुविधायें देगा जैसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ऐसी अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

(16) यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारणों से जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे तो अनुज्ञप्तिधारी इसकी सूचना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को तुरन्त देगा।

(17) किसी शेल्फ या रेक को, जहां क्षतिग्रस्त या खराब हुआ कृषि उत्पादन स्टोर किया गया हो, या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात, तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायगा।

(18) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहां वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि, जबतक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।

(19) अनुज्ञप्तिधारी इसके संबंध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभार को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे मीमा प्रभार, कृषि उत्पाद की तौलने, कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहां उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर–नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद की कोल्ड स्टोरेज से परिसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम संबंधी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने, छाटने और दुबारा बोरों में भरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिए प्रभार जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय नहीं लेगा।

4. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन –

(1) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये आवेदन–पत्र प्रपत्र 2 में, दो प्रतियों में दिया जायगा जिन पर आवेदक का सम्यक् रूप से हस्ताक्षर होगाः

परन्तु यह कि आवेदक अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधो के अनुसार अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये ऐसी अतिरिक्त सूचना, जैसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, देने के लिय बाध्य होगा।

(2) जहां एक ही आवेदक एक से अधिक कोल्ड स्टोरेज के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहे, वहां वह प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्रों के साथ मूल चालान होगा, जिसमें नियम 5 के उप नियम (3) में लिखित लेखा शीर्ष के अर्न्तगत कोषागार में उक्त नियम के उपनियम (2) में जमा की गयी विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का उल्लेख किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति फीस ———

(1) राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज में कोई अनुज्ञप्ति—फीस नहीं ली जायगी।

(2) उप—नियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज के भिन्न कोल्ड स्टोरेज के संबंध में अनुज्ञप्ति दिये जोने के लिये एक कलेण्डर वर्ष या इसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगीः—

क्रम स॰	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	लाइसेन्स फीस	
1	2	3	4
		बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1.	282 घनमीटर तक	220 रु॰	300 रु॰
2.	282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक	900 रु॰	1,200 रु॰
3.	7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक	1500 रु॰	2,000 रु॰
4.	15000 घनमीटर से अधिक	2,240 रु॰	3,000 रु॰

(नोट :— इस दर का संसोधन अधिसूचना 16 अक्तूबर 2002 में किया जा चुका है कृपया उक्त अधिसूचना देखा जाय।)

(3) फीस, चालान द्वारा लेखा शीर्ष—0401—कृषि प्राप्तियाँ—119 कोल्ड स्टोरेज फीस से आय'' के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायगी।

6. अनुज्ञप्ति के लिए शर्त्त— अनुज्ञप्ति दियें जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज निम्नलिखित शर्त्तों का पालन करेगाः—

(1) कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार निर्मित और अनुरक्षित किया जायेगा कि वह आर्द्रता निरोधक तथा उष्मा निरोधक हो और उसमें पक्षियों, कीटों, क्षतिकारक कीड़े—मकोड़े, चूहों, कृन्तक प्राणियों और ऐसे अन्य कीड़े—मकोड़े तथा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सकें तथा स्टोर किए गये कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचाने के विरूद्ध संरक्षित हो।

(2) किसी कृषि उत्पाद को इस प्रकार स्टोर किया जायेगा जिससे कि उसे आर्द्रता, नमी, उष्मा, झंझावात से या फर्श, पार्श्व दीवार, दरवाजों और खिड़कियों आदि के पानी से बचाया जा सकें।

(3) कोल्ड स्टोरेज के फर्श छत, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों या किसी छिद्र (ओपनिंग) का उष्मारोधन—(1) कार्क स्लेब, (2) ग्लास ऊल, (3) राक—ऊल, (4) एक्सपेंडेड पोलिस्टीरीन (5) थरमापोकोल (6) थरमोफाइय, (7) थरमोएलायट, (8) थरमोपेक या ऐसी अन्य वस्तु से किया जायेगा जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुमोदित करें। कोल्ड स्टोरेज के आवश्यकता के अनुसार तापमान को विनियमित करने के लिए उष्मारोधन और जलरोधन की प्रक्रिया उचित रीति से की जानी चाहिए। जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।

(4) जोड़ो से तापमान निकलने की सभी संभावनाओं को दूर करने के लिए घुमावदार, जोड़ों को तिरछी करके उष्मारोधन सामग्री परतों में लगायी जानी चाहिए।

(5) कोल्ड स्टोरेज के दरवाजों में उष्मारोधन की पर्याप्त व्यवस्था होगी और वे युक्तियुक्त रूप से वायुरोधी होनी चाहिये। दरवाजों की डिजाइन ऐसी होगी जिससे कि कोई व्यक्ति उसे बाहर और भीतर दोनों तरफ से खोल सकें।

(6) जहाँ कहीं रेक की व्यवस्था की जाय वहाँ उन्हें इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि कोल्ड—स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जीवन की खतरे में डाले बिना लादने या उतारने का कार्य किया जा सके ।

(7) डिफ्यूजर या डाइरेक्ट एक्सपेंशन पाईप, जिनसे होकर हिमकारक द्रव्य (रेफरीजेरेन्ट) जाता हो, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार लगाये जायेंगे कि सेन्टीग्रेड की अनुज्ञेय उच्चतम विभिन्नता सहित उपयुक्त तापमान और 5 प्रतिशत की अनुज्ञेय भिन्नता से सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत कोल्ड—स्टोरेज के प्रत्येक ऐसे स्थान में बना रहें, जहाँ पर कृषि उत्पाद स्टोर किये गये हों।

(8) प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में ऐसे कृषि उत्पाद को जो खराब हो रहे हों या जिसमें खराब होने के लक्षण हों, पृथक करने तथा अस्थायी रूप से स्टोर करने के उपयुक्त और सुविधाजनक, स्थान होगा

जिससे कि ऐसा कृषि उत्पाद, जबतक कि उसका निस्तारण न कर दिया जाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये अन्य कृषि उत्पाद के सम्पर्क में न आये या किसी प्रकार से उसे प्रभावित न करें।

(9) कोल्ड स्टोरज के भू–गृहादि में अग्निशामक और निस्संक्रमण उपकरण तथा सामग्री सदैव प्रयोज्य दशा में रखी जायेगी तथा ऐसे उपस्कर और सामग्रियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी भी रखें जायेंगे।

(10) कोल्ड स्टोरेज के भू–गृहादि में कर्मचारियों, किरायादाताओं या उनके अभिकर्त्ताओं के लिये तथा टट्टू और गाड़ी वाले अन्य पशुओं के लिये भी पेयजल की व्यवस्था होगी।

(11) कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच मार्ग इस प्रकार बनाया जायेगा जिससे कि कृषि उत्पाद के लाने ले जाने की सुविधा हो सकें।

(12) कोल्ड स्टोरेज में पूर्व शीतन कक्ष की व्यवस्था होगी जहां कोल्ड स्टोरेज में अन्तिम लदान के पूर्व, कृषि उत्पाद कम–से–कम 24 घंटे तक स्टोर किया जायगा।

7. **अनुज्ञप्ति प्रपत्र–** धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति प्रपत्र 3 में होगी।

8. **अनुज्ञप्ति की अवधि–** धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य होगी और उस दिनांक से जब अनुज्ञप्ति दी जाय, आगामी 31 दिसम्बर को वह अवधि समाप्त होगी।

9. **अनुज्ञप्ति–नवीकरण–** धारा 7 में निर्धारित शर्तो या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेर्शों, यदि कोई हो के अध्यधीन, धारा 6 की उप–धारा (1) के अनुसार दी गयी अनुज्ञप्ति नियम 10 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन–पत्र पर और नियम 11 में विहित फीस देने पर, समय–समय पर, एक कलेण्डर वर्ष के लिये नवीकृत किया जायेगा।

10. **अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्रपत्र–** अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र, प्रपत्र 4 में होगा और उसके साथ मूल, कोषागार चालन होगा जिसमें नियम 11 के अनुसार जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

11. **अनुज्ञप्ति नवीकरण की फीस–** (1) एक कलेण्डर वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के निमित अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगीः–

क्रम स॰	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की प्रस्तावित क्षमता	नवीकरण फीस	
1	2	3	4
		बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1.	282 घनमीटर तक	120 रु॰	160 रु॰
2.	282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक	520 रु॰	700 रु॰
3.	7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक	900 रु॰	12,00 रु॰
4.	15000 घनमीटर से अधिक	1,500 रु॰	2,000 रु॰

(2) फीस नियामावली के नियम 5 के उप–नियम (3) में अंकित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चलान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायगी।

12. अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र देने की अवधि तथा प्रक्रिया –

(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र उस वर्ष के जिनके लिये अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो पिछले वर्ष की अधिक से अधिक 31 अक्तुबर तक जबतक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास पहुंच जाय :

परन्तु यह कि जहां धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति 31 अक्तूबर को या उसके पश्चात् दी जाय, वहां अगले कलेण्डर वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये अवेदन–पत्र पूर्ववर्त्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक अधिक से अधिक दिया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र के साथ धारा 6 के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति भेजी जायेगी।

13. नवीकरण के लिए विलम्ब फीस के साथ आवेदन–पत्र प्रस्तुत करनाः–

(1) नियम 12 में विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर भी विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलंब फीस जो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा :–

परन्तु यह कि राज्य सरकार नवीकरण का आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि को बढ़ा सकती है।

(2) फीस और विलंब फीस को नियम 5 के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जायेगा।

14. अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति प्राप्त करने की फीस और प्रक्रिया :–

(1) यदि कोई अनुज्ञप्ति खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति पच्चीस रूपये की फीस, जो नियम 5 के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायगी, देने पर जारी की जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति को द्वितीयक प्रति जारी करने के लिये आवेदन–पत्र प्रपत्र 5 में दिया जायगा और उसके साथ मूल चालान होगा जिसमें उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

(3) जब खोई हुयी अनुज्ञप्ति के बदले में अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति अपेक्षित हो, तो आवेदक द्वारा प्रपत्र 6 में बन्ध–पत्र निष्पादित किया जायगा।

(4) अनुज्ञप्ति द्वारा खोयी हुयी या नष्ट हुयी अनुज्ञप्ति की भी रिपोर्ट थाने में की जायगी और की गई रिपोर्ट की एक प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायगी।

(5) आवेदक, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति जारी करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन–पत्र के साथ उस अनुज्ञप्ति को, जो फट गया हो, विरूपित हो गया हो या अपठनीय खो गया हो अभ्यर्पित करेगा।

(6) जब कोई अनुज्ञप्ति खो जाय या नष्ट हो जाय तब अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त इस तथ्य, जिसमें अनुज्ञप्ति की संख्या अंकित की जायेगी को किसी महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार–पत्र में या यदि कोई स्थानीय समाचार–पत्र न हो तो राज्य के भीतर महव्वपूर्ण समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायेगा और समाचार–पत्र की कतरन जिसमें उक्त तथ्य प्रकाशित किया जाय, अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति दिये जाने के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(7) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अपना समाधान करने के पश्चात् कि नियम 3 के उपनियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) यथा स्थिति की शर्ते जहां तक वे विचाराधीन विशिष्ट मामले पर लागू होती है, आवेदक द्वारा पूरी की जा चुकी है, अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करेगा।

(8) इस प्रकार जारी की गयी अनुज्ञप्ति की प्रत्येक द्वितीय प्रति में मूल अनुज्ञप्ति जिसकी यह द्वितीयक प्रति हो, की संख्या और दिनांक उल्लिखित होगी और उसके शीर्ष स्थान पर शब्द द्वितीयक प्रति अंकित किये जायेगें।

15. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्द किया जाना– (1) नियम 3 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जा सकता है, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि–

(क) धारा 7 की उप–धारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई विद्यमान हो।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया हो।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ने कोल्ड स्टोरेज का चलाना बंद कर दिया हो।

(2) **अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के निलम्बन या** रद्द किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी उसके लिए किसी प्रतिकर अथवा अनुज्ञप्ति के लिए अपने द्वारा दी गयी फीस वापस पाने का हकदार नहीं होगा।

16. नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति–

(1) नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु किसी इच्छुक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी।

(2) नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन–पत्र प्रपत्र–7 में दो प्रतियों में देना होगा जिसपर सम्यक रूप से आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।

(3) उप–नियम (2) के अधीन दिये गये किसी आवेदन–पत्र के साथ मौलिक चालान की प्रति संलग्न होगी जिसमें उप–नियम (4) में विनिर्दिष्ट नये कोल्ड–स्टोरेज के निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति फीस का उल्लेख नियम 5 के उप–नियम (3) में वर्णित शीर्ष के अधीन रहेगा।

(4) उप–नियम (5) में उल्लिखित आवेदकों से भिन्न से निम्नांकित अनुज्ञप्ति फीस ली जायगी।

क्रम स॰	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की प्रस्तावित क्षमता	निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति–फीस	
1	2	3	4
		बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या पंजीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्वाधोन अथवा प्रबंधनाधीन कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1.	282 घनमीटर तक	220 रु॰	300 रु॰
2.	282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक	900 रु॰	1,200 रु॰
3.	7000 घनमीटर अधिक और 15000 घनमीटर तक	1500 रु॰	2,000 रु॰
4.	15000 घनमीटर से अधिक	2,240 रु॰	3,000 रु॰

(5) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा प्रबन्धनाधीन कोल्ड स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कोई अनुज्ञप्ति फीस नहीं ली जायेगी।

(6) निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी प्रस्तावित क्षेत्र में कार्यरत कोल्ड स्टोरेज की संख्या, कृषि उत्पाद की उपलब्धता और कोई अन्य विन्दु जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे, पर विचार करेगा।

(7) अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी कोई भी ऐसी शर्त लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

17. सलाहकार पर्षद् का गठन–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज सलाहकार पर्षद् का गठन करेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विधान परषिद् के एक सदस्य को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

18. सलाहकार पर्षद् के कृत्य एवं कार्य– पर्षद् के कृत्य तथा कार्य अधिनियम की धारा 4 में यथाविनिर्दिष्ट है।

19. भंडारण किये गये माल की युक्तियुक्त देख–भालः– प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी भंडारण किये गये माल की युक्ति–मुक्त देख–भाल धारा 12 के अनुसार करते हुए निम्न बातों का भी पालन करेगा।

(1) माल खराब न होने पावें।

(2) परिस्थिति अन्य कारणों से माल को खराब न होने देने के लिए सामान्य बुद्धि के व्यक्ति जैसा कार्य करेंगे।

20. सूचना का प्रदर्शन–प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी धारा 13 में उपबंधित रीति से सूचना का प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगाः–

(1) सूचना सदैव पठनीय होगी।

(2) रिक्त स्थान का प्रदर्शन आवश्यक रूप से करेगें।

21. भंडारण के लिए माल स्वीकार करना– अनुज्ञप्तिधारी जमा करने हेतु धारा 14 के अनुसार माल स्वीकार करने के अलावा निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगें:–

(1) भंडारण करने के लिए स्वीकृत माल भंडारित माल को क्षति न पहुंचावें।

(2) विवाद उठने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

22. स्थान का आरक्षण –

(1) किसी कोल्ड स्टोरेज की पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत तक का ही आरक्षण किया जा सकता है और ऐसा आरक्षण 31 जनवरी तक ही किया जा सकेगा।

(2) आरक्षण के लिए निर्धारित किराया का (10%) अग्रिम देना अनिवार्य होगा।

(3) यदि आरक्षित कराये गये स्थान का उपयोग आरक्षण कराने वाले व्यक्ति द्वारा 15 (पन्द्रह) मार्च तक नही किया जाता है वैसी स्थिति में आरक्षण स्वतः रद्द समझा जायेगा और दी गयी अग्रिम राशि वापस लेने का हकदार नहीं रहेगा।